कम्प्यूटर परिपत्र सं0-   दिनांक   अक्टूबर,2013

पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14/ 1727 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक :: 28 अक्टूबर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाईंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/(कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र सं0-सचलदल विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14 / 1584 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर , 2013; कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1314057 दिनांक 07 अक्टूबर,2013 , द्वारा प्रान्त में प्रान्त के बाहर से आयात किए जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेंट (Hassle Free Movement) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रही कर अपवंचना की रोकथाम हेतु " **ई-सचरण** " की व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए है।

उपर्युक्त निर्देशों के द्वारा ई-संचरण की व्यवस्था दिनांक 28अक्टूबर,2013 से लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे । इस मध्य विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नानुसार संशोधन करते हुए **ई-संचरण** की उक्त व्यवस्था को **दिनांक 20 नवम्बर,2013** तक परीक्षण पर रखा जाता है -

1- **विशिष्ट संचरण नम्बर** से संबंधित sms या **विशिष्ट संचरण नम्बर** की प्रिंटिड कापी , दोनों में से कोई भी, प्रश्नगत माल के प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय से लेकर ऐसे माल के गन्तव्य पर पहुंचने तक साथ रखना अनिवार्य होगा । **विशिष्ट संचरण नम्बर** को प्रिंट करने की व्यवस्था कर दी गयी है । इसे आयातकर्ता व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा यदि उसके द्वारा टोकन नम्बर संबंधित विक्रेता/ट्रांसपोर्टर को प्रेषित कर दिया गया है , तो ऐसे विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है।आयातकर्ता व्यापारी द्वारा भी इसका स्वयं प्रिंट आउट लेकर अपने संबंधित ट्रांसपोर्टर को इसे प्रेषित किया जा सकता है।

2- व्यापारी अपने एक से अधिक मोबाइल भी उक्त परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर करा सकते हैं।

3- व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर मोबाइल रजिस्टर कराने के बाद पासवर्ड हेतु प्रिंट आउट की प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत की जाएगी **जहाँ इसकी पावती रसीद उन्हें प्रदान की जाएगी** । व्यापारी सुविधा केन्द्र से यह प्रिंट आउट की प्रति उसी दिन संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में प्रेषित की जाएगी । इसके निस्तारण की कार्यवाही पूर्व निर्धारित निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट समयावधि में निष्पादित की जाएगी।

4- व्यापारी को उनके रजिस्टर कराए गए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर विभाग द्वारा जो "**पासवर्ड**"जारी किया जाएगा उसके द्वारा लाग इन करते हुए फार्म-38 के स्क्रीन पर उपलब्ध विवरणों में प्रश्नगत विक्रेता का नाम भरते ही टोकन नम्बर जैनरेट हो जाएगा। इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहें तो स्वयं ही विक्रेता /ट्रांसपोर्टर से समस्त विवरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर अन्य विवरण भर सकते हैं । इस प्रकार एक विशिष्ट (specific) संव्यवहार के लिए आयातकर्ता व्यापारी यदि स्वयं माल से संबंधित समस्त विवरण भरना चाहते हैं तो ऐसा वह स्वयं कर सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस specific संव्यवहार के लिए जैनरेट किए गए टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड

करते हुए उन्हे संबंधित विवरण भरने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आयातकर्ता व्यापारी का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से संबंधित समस्त विवरण सही-सही भरे जायें।

5- रु0 100 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारी अपनी ब्रांचों के लिए भी Sub-user Password के लिए भी आन लाइन पंजीयन के समय विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध ब्रांचेज / वेयरहाउस के अनुरूप Sub-user Password हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ई-संचरण हेतु मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराने के कार्य के साथ ही विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका एप्रूवल मोबाइल रजिस्टर करते समय ही कर दिया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित व्यापारी द्वारा विभाग द्वारा दिए गए पासवर्ड से लाग इन करने पर Sub-user Creation के लिंक पर क्लिक किया जाएगा जिससे व्यापारी द्वारा संबंधित शाखाओं के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी को अंकित करते हुए Sub-user create किया जाएगा। Sub-user से संबंधित पासवर्ड उक्त मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर प्रेषित किया जाएगा। Sub-user निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयात हेतु संचरण नम्बर जैनरेट कर सकेगा, जो व्यापारी के एकाउण्ट में प्रदर्शित होगा।

6- यदि किसी एक विक्रेता से किसी व्यापारी द्वारा Bulk Purchase की जा रही है, तब ऐसा आयातकर्ता व्यापारी जैसे ही उस विक्रेता व्यापारी के नाम की प्रविष्टि सहित अपेक्षित फार्म-38 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस विक्रेता से की जाने वाली खरीद के लिए जैनरेट हो जायेंगे और वह तदनुसार इनसे Bulk Purchase कर सकेगा। प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जैनरेट किए जा सकेंगे जिसकी वैधता टोकन जैनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी। जिस टोकन का 30 दिन की अवधि में उपयोग नही होगा, वह स्वयमेव निष्प्रयोज्य हो जाएगा।

ई-संचरण की उक्त व्यवस्था हेतु Bulk Purchase का अभिप्राय ऐसी खरीद से होगा जो एक बिल/ इन्वाइस से की गयी हो अथवा देश के बाहर से इम्पोर्ट की स्थिति में एक बिल आफ एन्ट्री से की गयी हो तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेतर अनेक वाहनों से गन्तव्य तक प्रेषित किया जाना हो।

7- Bulk purchase के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब ऐसी खरीद देश के बाहर से बिल आफ एन्ट्री द्वारा अथवा बिल/इन्वाइस से रेलवे द्वारा आयात करते हुए अग्रेतर विभिन्न वाहनों से गन्तव्य के लिए परिवहित की जानी हो, उस स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर पहले प्रश्नगत बिल आफ एन्ट्री अथवा बिल/इनवाइस / आर.आर. जैसी भी स्थिति हो, उसका उल्लेख संबंधित माल के कुल परिमाण सहित संबंधित व्यापारी को करना होगा। तत्पश्चात मल्टीपिल वाहनों के विकल्प में अपेक्षित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। इसके पश्चात जिस वाहन से जिस भी परिमाण का माल परिवहित किया जाना है, उस परिमाण का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर जैनरेट हो जायेंगे जिससे ऐसे माल का परिवहन किया जाएगा।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनाँक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उ0प्र0 प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।